रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15052026-272596
CG-DL-E-15052026-272596

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 5, 2026/वैशाख 15, 1948
No. 121] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 5, 2026/VAISAKHA 15, 1948

वाणिज्य एव उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2026

सं. 05/2026-27

विषय: गेहूँ के निर्यात के तौर-तरीको के संबंध में।

फा. सं. 01/91/180/032/एएम22/पार्ट.I/ईसी/ई-32553.—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार, एतद्वारा भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 13/2026-27 दिनांक 27 अप्रैल, 2026 द्वारा यथा अधिसूचित 25 एलएमटी गेहूँ के निर्यात के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु आवेदनों की पात्रता, प्राप्ति और प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित तौर-तरीकों को निर्धारित करते हैं:

1. आवेदन प्रस्तुत करना:

(क) ऑनलाइन आवेदन: सभी आवेदक जिनके पास सक्रिय आयातक निर्यातक कोड (आइईसी) है, जो निर्यात प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे डीजीएफटी की वेबसाइट (https://www.dgft.gov.in) ->

सेवाएं -> निर्यात प्रबंधन प्रणाली -> प्रतिबंधित निर्यात के लिए लाइसेंस पर नेविगेट करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डीजीएफटी वेबसाइट पर किसी अन्य लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन को वैध आवेदन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ख) ऑनलाइन आवेदन करने की समय-अवधि: आवेदन 01 मई, 2026 से 10 मई, 2026 तक आमंत्रित किए जाएंगे।

(ग) वैधता : आवेदक को जारी किया गया निर्यात प्राधिकार पत्र इसके जारी होने की तिथि से छह माह की अवधि के लिए वैध होगा जिसमें वे मात्राएं भी शामिल होंगी जो मूल रूप से आवंटित या समीक्षा के बाद आवंटित की जाती हैं। वैधता अवधि के विस्तार के लिए किसी भी अनुरोध पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले-दर-मामले आधार पर विचार किया जाएगा।

(घ) गैर-हस्तांतरणीयता : निर्यात प्राधिकार पत्र पूर्ण रूप से गैर-हस्तांतरणीय होंगे और इसका इस्तेमाल केवल आवंटी आइईसी धारक द्वारा ही किया जाना चाहिए।

2. आवंटन तंत्र : विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित एक विशेष एक्ज़िम सुविधा समिति (एसईएफसी) सक्षम प्राधिकारी से प्रत्येक आवेदन के लिए आवंटन की सिफारिश करेगी।

3. गेहूँ का आवंटन/पुनः आवंटन

3.1 **आवंटन हेतु प्रक्रिया:** 25 एलएमटी का आंवटन निम्नलिखित मानदंड के आधार पर किया जाएगा:

(क) निर्यातक को 25 एलएमटी में से 18 एलएमटी आवंटित किया जाएगा, जिसने

(i) पिछले तीन वर्षों में 150 करोड़ रूपये का न्यूनतम औसत वार्षिक निर्यात कुल बिक्री की हो;

(ii) इस सूचना के संदर्भ में कम से कम 50,000 मीट्रिक टन (एमटी) का आवेदन किया गया हो;

(iii) उपर्युक्त बिन्दु (i) के समर्थन मे वैध यूडीआइएन के साथ चार्टड अकाउंटेंड द्वारा जारी प्रमाण पत्र जमा किया हो।

(ख) राज्य व्यापार उद्यमों के साथ भारत सरकार के तत्वाधान के तहत कार्यरत कृषि पण्य वस्तुओं का प्रबंधन करने वाली सहकारी समितियों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों हेतु 25 एलएमटी में से 5 एलएमटी पर विचार किया जाएगा;

(ग) 25 एलएमटी में से शेष 2 एलएमटी मौजूदा एमएसएमई निर्यातकों और जिन्होंने इस सूचना के संदर्भ में कम से कम 10,000 मीट्रिक टन (एमटी) हेतु आवेदन किया है, को आवंटित की जाएगी।

3.2 **आवंटन मानदंड:** एसईएफसी, आवंटन की सिफारिश हेतु आवेदनों की जांच के समय आवेदक के पूर्व निर्यात विवरण और नीचे दिए पैरा 4 के अनुसार प्रस्तुत आवेदन की तिथि पर उपलब्ध पुष्टीकृत निर्यात आदेश/अनुबंधों पर विचार करेगी।

3.3 **समीक्षा और पुनः आवंटन:** एसईएफसी इस सूचना के संदर्भ में निर्यात प्राधिकार पत्र प्राप्त करने वाले निर्यात प्राधिकार पत्र धारकों द्वारा निर्यात की स्थिति की समीक्षा इस प्राधिकार पत्र के जारी होने के **तीन** माह के प्रश्चात करेगा। ऐसी समीक्षा के आधार पर, एसईएफसी ऐसे प्राधिकार-पत्र के तहत किए गए निर्यात के प्रतिशत के आधार पर अनुपयोगी मात्राओं के पुनः आवंटन की सिफारिश करेगा, विशेषकर ऐसे मामलों में जहां ऐसे प्राधिकार पत्र के तहत किया गया निर्यात आवंटित मात्रा से 50 प्रतिशत कम है, जैसा कि प्राधिकार पत्र धारक द्वारा नीचे दिए पैरा 6 में दर्शाए गए दस्तावेजो से प्रमाणित होता है।

4. आवश्यक दस्तावेज: आवेदन करते समय आवेदक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे, नामतः

(i) आवेदन की तारीख पर उपलब्ध पुष्टीकृत निर्यात आदेशों / अनुबंधों की प्रतियां; और,

(ii) उपर्युक्त पैरा 3.1 में सूचित की गई टर्नओवर आवश्यकताओं सहित पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान भारतीय रूपये में पूर्व निर्यात निष्पादन।

(iii) उपर्युक्त बिंदु (ii) के समर्थन में वैध यूडीआइएन के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

5. आवेदनों की अयोग्यता: जो आवेदन निम्नलिखित मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें इस सूचना के तहत किसी भी आवंटन के लिए योग्य नहीं माना जाएगा, अर्थात्:-

- इस सूचना के पैरा 3.1 के तहत निर्धारित मात्रा से कम मात्रा के निर्यात हेतु आवेदन।
- आवेदन जो डाक या ई-मेल से प्राप्त हुए हैं और उपर्युक्त पैरा 1(क) में उल्लिखित डीजीएफटी पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किए गए हैं;
- आवेदन जो उपर्युक्त पैरा 1 (ख) में उल्लिखित विंडो पीरियड के दौरान जमा नहीं किए गए हैं।

- आवेदक द्वारा गलत घोषणा वाले आवेदन; और,
- एक आइईसी धारक द्वारा एक से अधिक आवेदन जमा किया जाना।

6. रिपोर्टिंग की शर्त:

- निर्यातकों को प्राधिकार पत्र के तहत किए गए निर्यात की मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक महीने की 5 तारीख तक sefc-wheatflour-dgft@gov.in पर प्रस्तुत करनी होगी। अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता है तो आवेदकों को उसी ईमेल आइडी के माध्यम से आवश्यकतानुसार सूचित किया जाएगा।
- रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन न करने पर विदेश व्यापार (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम, 1992 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. 13/2026-27 दिनांक 27 अप्रैल, 2026 के माध्यम से अधिसूचित गेहूँ के आयात के लिए प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाएगें और इस सार्वजनिक सूचना में उल्लिखित तौर-तरीकों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 30th April, 2026

No. 05/2026-27

Subject: Modalities for export of Wheat– regarding.

F. No. 01/91/180/032/AM22/Pt.I/EC/E-32553.— In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2023, the Directorate General of Foreign Trade hereby prescribes the following modalities for eligibility, receipt and processing of applications for issuance of authorizations for export of wheat of 25 LMT as notified by the Government of India vide Notification No. 13/2026-27 dated April 27, 2026, as amended from time to time:

1. SUBMISSION OF APPLICATIONS

(a) **Online Applications**: All applicants having active Importer Exporter Code (IEC), seeking export authorization shall apply online by navigating to the DGFT website (https://www.dgft.gov.in)-> Services-> Export Management Systems-> License for Restricted Exports. Applying online through any other link on the DGFT Website shall not be accepted as a valid application.

(b) **Time-period for filing online applications**: The applications shall be invited during May 01, 2026, to May 10, 2026.

(c) **Validity**: The Export Authorization issued to the applicant shall be valid for a period of six months from the date of its issuance, with such quantities as are allocated initially or are re-allocated subsequent to review. Any request for extension of the validity period shall be considered by the competent authority on a case-by-case basis.

(d) **Non-transferability**: The Export Authorizations shall strictly be non- transferable and must be used by the allottee IEC holder only.

2. Allocation mechanism: A Special Exim Facilitation Committee (SEFC), constituted for this purpose by the Directorate General of Foreign Trade (DGFT), shall recommend the allocation against each application to the competent authority.

3. ALLOCATION/RE-ALLOCATION OF WHEAT:

3.1. **Methodology for allocation:** The allocation of 25 LMT shall be done based on the following criteria:

(a) 18 LMT out of 25 LMT shall be allocated to exporters, who have:

(i) Minimum average annual export turnover of ₹150 crores in the last three years;

(ii) Applied for not less than 50,000 Metric Tonnes (MT) in terms of this Notice;

(iii) Submitted certificate issued by a Chartered Accountant with valid UDIN in support of point (i) above.

(b) 5 LMT out of 25 LMT shall be considered for the applications submitted by State Trading Enterprises as well as Cooperative Societies, functioning under the aegis of Government of India, handling agricultural commodities;

(c) Balance quantity of 2 LMT out of 25 LMT shall be allocated to existing MSME exporters and have applied for not less than 10,000 Metric Tonnes (MT) in terms of this Notice.

3.2. **Allocation Criteria:** The SEFC shall, while examining the applications for recommending allocation, take into consideration the previous export history of the applicant and existence of confirmed export orders/contracts available on the date of application, as submitted in terms of Para 4 below.

3.3. **Review and Re-allocation**: The SEFC shall review the status of exports made by the Export Authorization Holders who have been issued Export Authorization in terms of this Notice, after **three** months of issuance of such Authorization. Based on such review, the SEFC shall recommend re-allocation of unutilized quantities based on percentage of exports made under such Authorization, especially in cases where the exports have been made which are less than 50 percent of the quantity allocated under such Authorization, as substantiated by the documents reported by the Authorization Holder as indicated in Para 6 below.

4. **Required documents**: The following documents shall be submitted by the applicant at the time of filing the application, namely: -

(i) Copies of confirmed export orders/contracts available on the date of application;

(ii) Past export performance during the preceding 5 financial years in INR including turnover requirement as indicated in Para 3.1 above; and,

(iii) Certificate issued by a Chartered Accountant, with valid UDIN in support of point (ii) above.

5. **Disqualification of Applications:** The applications which do not meet the following criteria shall not be considered for any allocation in terms of this notice, namely:-

- Applications seeking export for quantities less than that prescribed under Para 3.1 of this Notice;
- Applications received by post or e-mail and not submitted through the DGFT Portal as specified in Para 1(a) above;
- Applications not submitted during the window period mentioned at Para 1(b) above.
- Applications containing any misdeclaration by the applicant; and,
- Submission of more than one application by an IEC holder.

6. **REPORTING CONDITION**:

- Exporters shall furnish monthly progress reports of exports made under the Authorization at sefc-wheatflour-dgft@gov.in by 5th of every month. Any requirement for additional documents shall be communicated to the exporter by the SEFC, as and when required through the same e-mail id.
- Non-compliance with reporting requirements shall attract action under the provisions of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 and Rules made thereunder.

A EFFECT OF THIS PUBLIC NOTICE:

Applications for Authorizations for export of wheat, notified vide Notification No. 13/2026-27 dated April 27, 2026, as amended from time to time, shall be invited and processed as per the modalities mentioned in this Public Notice.

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA